विविध बैंक प्र0सं0 31/2017 एक्सिस बैंक लि0 शाखा कार्यालय बी–115 ओम शांति टॉवर, द्वितीय तल, हवा सड़क, सिविल लाईन्स, जयपुर बनाम 1–श्रीमति सुनीता सचदेवा पत्नि श्री राकेश सचदेवा प्रो0 मैसर्स अभिषेक एन्टरप्राईजेज दुकान न0 9, आदर्श कल्ला, पॉवर हाउस रोड़, श्रीगंगानगर 2–श्रीमति ममता धुरिया उर्फ ममता सचदेवा पत्नि श्री नरेश सचदेवा निवासी 125 लक्ष्मीनगर, एसएसबी रोड, 100 फीट रोड़, श्रीगंगानगर 3–श्री राकेश सचदेवा निवासी 332 मुख्य वार्ड, अग्रसेन नगर, वार्ड 0 35, अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.11.2017

प्रार्थी एक्सिस बैंक लि0 के अभिभाषक श्री जलविन्द्र सिंह उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी एक्सिस बैंक लि0 के अभिभाषक का कथन है कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीया ऋणी श्रीमति सुनीता सचदेवा पत्नि श्री राकेश सचदेवा प्रो0 मैसर्स अभिषेक एन्टरप्राईजेज दुकान न0 9, आदर्श कल्ला, पॉवर हाउस रोड़, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 40,00,000/– रूपये (अखरे रूपये चालीस लाख मात्र) ऋण दिनांक 21.02.2014 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीयान श्रीमति सुनीता सचदेवा पत्नि श्री राकेश सचदेवा एवं श्रीमति ममता धूरिया उर्फ ममता सचदेवा पत्नि श्री नरेश सचदेवा ने अपना मकान न0 125 (किला न0 6 मकान न0 39/41, चक 3 ई छोटी) लक्ष्मी नगर, श्रीगंगानगर माप लगभग 1250 वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थीया ऋणी द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 29.04.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थीया ऋणी की ओर दिनांक 05.08.2016 तक ऋण राशि 42,82,181. 55–रूपये एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीयान ऋणी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस दिनांक 20.08.2016 को जारी किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीयान द्वारा बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया है और न ही नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अप्रार्थीयान ऋणी श्रीमति सुनीता सचदेवा पत्नि श्री राकेश सचदेवा प्रो0 मैसर्स अभिषेक एन्टरप्राईजेज दुकान न0 9, आदर्श कल्ला, पॉवर हाउस रोड़, श्रीगंगानगर एवं श्रीमति ममता धुरिया उर्फ ममता सचदेवा पत्नि श्री नरेश सचदेवा निवासी 125 लक्ष्मीनगर, एसएसबी रोड, 100 फीट रोड़, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा गया मकान न0 125 (किला न0 6 मकान न0 39/41, चक 3 ई छोटी) लक्ष्मी नगर, श्रीगंगानगर माप लगभग 1250 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने प्रार्थी एक्सिस बैंक लि0 के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने कुल 40,00,000/–रूपये (अखरे रूपये चालीस लाख मात्र) ऋण दिनांक 21.02.2014 को अप्रार्थीया ऋणी श्रीमति सुनीता सचदेवा पत्नि श्री राकेश सचदेवा प्रो0 मैसर्स अभिषेक एन्टरप्राईजेज दुकान न0 9, आदर्श कल्ला, पॉवर हाउस रोड़, श्रीगंगानगर के नाम स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीयान ऋणी श्रीमति सुनीता सचदेवा पत्नि श्री राकेश सचदेवा प्रो0 मैसर्स अभिषेक एन्टरप्राईजेज दुकान न0 9, आदर्श कल्ला, पॉवर हाउस रोड़, श्रीगंगानगर एवं श्रीमति ममता धुरिया उर्फ ममता सचदेवा पत्नि श्री नरेश सचदेवा निवासी 125 लक्ष्मीनगर, एसएसबी रोड, 100 फीट रोड़, श्रीगंगानगर ने अपना मकान न0 125 (किला न0 6 मकान न0 39/41, चक 3 ई छोटी) लक्ष्मी नगर, श्रीगंगानगर माप लगभग 1250 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखा। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीयान को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 20.08.2016 को बैंक की बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस जारी किये किन्तु अप्रार्थीयान द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद न तो बैंक की बकाया ऋण राशि जमा करवाई है और न ही मांग नोटिस के सम्बन्ध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

चूंकि बैंक द्वारा अप्रार्थीयान ऋणी श्रीमति सुनीता सचदेवा पत्नि श्री राकेश सचदेवा प्रो0 मैसर्स अभिषेक एन्टरप्राईजेज दुकान न0 9, आदर्श कल्ला, पॉवर हाउस रोड़, श्रीगंगानगर व गारन्टरस श्रीमति ममता धुरिया उर्फ ममता सचदेवा पत्नि श्री नरेश सचदेवा निवासी 125 लक्ष्मीनगर, एसएसबी रोड, 100 फीट रोड़, श्रीगंगानगर एवं श्री राकेश सचदेवा निवासी 332 मुख्य वार्ड, अग्रसेन नगर, वार्ड 0 35, अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर के नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से नोटिस भिजवाये गये। प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र, प्रस्तुत रजिस्ट्री रसीदें, रजिस्टर्ड ए.डी. रसीदें व डाक विभाग के द्वारा रजिस्ट्रीयां वितरण विवरण के अनुसार अप्रार्थीयान को नोटिस प्राप्त हो चुके है। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीयान ऋणी/गारन्टरस द्वारा प्रार्थी बैंक की कोई बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है और न ही उनके द्वारा कोई जबाब या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीयान ऋणी श्रीमति सुनीता सचदेवा पत्नि श्री राकेश सचदेवा प्रो0 मैसर्स अभिषेक एन्टरप्राईजेज दुकान न0 9, आदर्श कल्ला, पॉवर हाउस रोड़, श्रीगंगानगर एवं श्रीमति ममता धुरिया उर्फ ममता सचदेवा पत्नि श्री नरेश सचदेवा निवासी 125 लक्ष्मीनगर, एसएसबी रोड, 100 फीट रोड़, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा गया मकान न0 125 (किला न0 6 मकान न0 39/41, चक 3 ई छोटी) लक्ष्मी नगर, श्रीगंगानगर माप लगभग 1250 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

श्रीगंगानगर

अतः प्रार्थी एक्सिस बैंक लि0 का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीयान ऋणी श्रीमति सुनीता सचदेवा पत्नि श्री राकेश सचदेवा प्रो0 मैसर्स अभिषेक एन्टरप्राईजेज दुकान न0 9, आदर्श कल्ला, पॉवर हाउस रोड़, श्रीगंगानगर एवं श्रीमति ममता धुरिया उर्फ ममता सचदेवा पत्नि श्री नरेश सचदेवा निवासी 125 लक्ष्मीनगर, एसएसबी रोड, 100 फीट रोड़, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा गया मकान न0 125 (किला न0 6 मकान न0 39/41, चक 3 ई छोटी) लक्ष्मी नगर, श्रीगंगानगर माप लगभग 1250 वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने का आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर